Sent mail
04.07.18

अति–महत्वपूर्ण
जीवन प्रमाण–पत्र शिविर

बिहार सरकार
समाहरणालय,किशनगंज

किशनगंज 855107
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
फोन नं. :– 06456–223281
ई–मेल :– adsskishanganj@gmail.com

–:: आदेश ::–

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक 897, दिनांक 26.06.2018 (प्रति संलग्न) के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारियों का आधार/पंजीयन संख्या तथा जीवन प्रमाण पत्र (**Life Certificate**) प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.07.2018 से 10.07.2018 तक प्रखण्ड स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में नगर निकाय कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किये जाने का निदेश प्राप्त है।

उक्त प्राप्त निदेश के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत ठाकुरगंज/बहादुरगंज अपने–अपने प्रखंड मुख्यालय तथा नगर/शहरी क्षेत्र में **दिनांक 01.7.2018 से दिनांक 10.7.2018 तक** पंचायतवार/वार्डवार रोस्टर तैयार कर तिथिवार विशेष शिविर का आयोजन करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारियों का आधार/पंजीयन संख्या तथा जीवन प्रमाण पत्र (**Life Certificate**) प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत ठाकुरगंज/बहादुरगंज शिविर में निम्न प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियाँ ससमय करना सुनिश्चित करेंगे ::–

- ➢ शिविर में सभी पेंशनधारी अपने आधार कार्ड/बैंक खाता के साथ उपस्थित रहेंगे। पंचायत सचिव/टैक्स दारोगा या अन्य सक्षम कर्मी पेंशनधारी के आधार/खाता संख्या की जाँच करेंगे एवं विहित प्रपत्र (संलग्न) में उनसे जीवन प्रमाण पत्र–सह– सहमति पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जीवन प्रमाण–पत्र पर पंचायत सचिव/टैक्स दारोगा यह प्रमाणित करते हुए अपना हस्ताक्षर करेंगे कि उन्होंने पेंशनधारी को जिवित देखा है।
- ➢ जिस पेंशनधारी का आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, वे तुरंत प्रखण्ड कार्यालय में स्थित आधार पंजीकरण केन्द्र पर अपना आधार पंजीकरण करायेगें एवं विहित प्रपत्र में आधार संख्या के स्थान पर आधार पंजीकरण संख्या अंकित करेंगे। पेंशनधारी आधार पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात अपने साथ लेकर शिविर में आयेंगे।
- ➢ प्रखंड विकास पदाधकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत शिविर के पूर्व ही प्रखण्डवार/ पंचायतवार/ योजनावार पेंशनधारियों की सूची ई–लाभार्थी पोर्टल से डाउनलोड कर पंचायत सचिव/टैक्स दारोगा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। ताकि सूची के आधार पर लाभार्थीयों से जीवन प्रमाण पत्र –सह– सहमति पत्र प्राप्त किया जा सके। तथा पेंशनधारियों का अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहुलियत हो सके।
- ➢ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी शिविर के पूर्व ही जीवन प्रमाण पत्र–सह–सहमती पत्र पर्याप्त मात्रा छपवाकर पंचायत सचिव/टैक्स दारोगा को उपलब्ध करायेगें, ताकि प्रपत्र पेंशनधारियों को सुगमता के साथ निःशुल्क उपलब्ध हो सके।

प्रपत्र के लिए आवश्यक व्यय कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि से की जाएगी। इस मद में राशि का उपावंटन अलग से किया जायेगा।

- ➢ प्रखंड विकास पदा0/कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड/शहरी क्षेत्र में शिविर के आयोजन से सम्बन्धित वृहत प्रचार प्रसार समाचार पत्र, बैनर, पोस्टर, माइकिंग आदि के द्वारा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ➢ शिविर में वृद्ध एवं निःशक्त लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था हेतु अपने स्तर से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को शिविर में ससमय उपस्थित रहने के लिए अनुरोध करेंगे।

➢ **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज** उक्त विशेष शिविर के दौरान विधि–व्यवस्था संधारण हेतु निर्धारित तिथियो में संबंधित थानाध्यक्ष को शिविर में आवश्यक पुलिस बल/महिला बल की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।

➢ **प्रखंड विकास पदाधिकारी** सबंधित थानाध्यक्ष को शिविर आयोजन सबंधी रोस्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ तत्संबंधी दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन संध्या 5 बजें जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि समेकित प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय भेजा जा सके।

➢ **सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किशनगंज** इस शिविर के नोडल पदाधिकारी होंगे। निदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक प्रखंड के शिविर का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए आयोजित शिविर में शत–प्रतिशत पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाय इसे सुनिश्चित करायेंगे। साथ हीं दैनिक प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

➢ **प्रखंड के वरीय पदाधिकारी** को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने प्रखंडो के निरीक्षण के दौरान आयोजित शिविर का निरीक्षण/अनुश्रवण भी करेंगे।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक 209 **/जि0सा0सु0को0, किशनगंज, दिनांक** 03 **/07/2018**

सभी संबंधित थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला किशनगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज/ ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त आदेश को जिला वेबसाईट पर संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना को भवदीय पत्रांक 897, दिनांक 26.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3/7/18

जिला पदाधिकारी
किशनगंज।

बिहार सरकार
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

जीवन प्रमाण पत्र -सह- सहमति पत्र हेतु विहित प्रपत्र

मैं श्री/श्रीमती .... पिता/पति का नाम- ....

ग्राम/मुहल्ला/वार्ड-............................ पंचायत-............................... प्रखण्ड-..................................

जिला-.............................. आधार संख्या / आधार पंजीकरण संख्या- ..../खाता संख्या..........

का धारक हूँ। यह कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या / आधार पंजीकरण संख्या/खाता संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने मे कर सकते हैं।

पेंशनधारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को मैंने देखा है और इनके द्वारा दी गयी सूचना सही है। वे इस तिथि तक जीवित हैं।

पंचायत सचिव/टैक्स दरोगा/अन्य नामित कर्मी
का हस्ताक्षर

नाम- ....

पदनाम- ....